प्रमाण पत्र

दिनांक 2[illegible].10.2019 को जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में दूधली मुख्य मार्ग से चाँदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण हेतु 3.600 हेक्टेयर वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के सम्बन्ध में बैठक हुई। उक्त बैठक में नगर पालिका परिषद डोईवाला, देहरादून, के 50 प्रतिशत से अधिक सभासद सदस्य थे।

सभासद नगर पालिका परिषद डोईवाला
ह० सुनीता सैनी
दि० 24/7/2020
वार्ड नं०- 18, प्रेमनगर, डोईवाला

श्रीमती सुषमा कोठारी (सभासद)
वार्ड नं० - 20, अम्बेडकर नगर
नगर पालिका परिषद डोईवाला, दे०दून

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
डोईवाला, देहरादून

श्रीमती दीपिका नेगी (सभासद)
वार्ड नं०-19, चाँदमारी, डोईवाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला, दे०दून

अब्दुल कादिर (सभासद)
वार्ड न०15 नियामवाला
न०पा० डोईवाला

सभासद वार्ड 17
कुडकावाला
शिवानी

सभासद वार्ड-13
न० पा० डोईवाला

Adv. Manish Dhiman

सभासद वार्ड-16
तेलीवाला न०प० डोईवाला

श्रीमती रेनू देवी (सभासद)
वार्ड नं०-12, राजीवनगर
नगर पालिका परिषद डोईवाला, दे०दून

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
डोईवाला, देहरादून

परियोजना का नामः– **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण हेतु 3.600 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।**

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी(वनअधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय–समय परसंसोधित) के धारा–6 (5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं011–09/98–FC(pt)दिनांक 09.08.2008 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 07-08-2020 को जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्य गण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव व उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी के **Right** व **Sattlement** के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ–

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ के निर्माण हेतु 3.600 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, ऋषिकेश को वन भूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा–6(1) के अनुसार नगर पालिका डोईवाला स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 20.10.2019 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा–6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में गठित उपजिलाधिकारी समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 09.01.2020 का विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिलास्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पाया गया कि अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाया का कोई **Right** व **Settlement** की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः वनअधिकारी हेतु कोई दावा नही होगा।

बैठक में जिलास्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न की गई।

जिलासमाजकल्याणअधिकारी देहरादून सदस्य सचिव (मुहर: जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून)	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादूनवनप्रभागदेहरादून सदस्य	जिलाधिकारी अध्यक्ष देहरादून (मुहर: जिलाधिकारी देहरादून)

Annexure-1

FORM-I
For linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No. 33(1) **Date:-** 7.8.20

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) date 3rd August 2009 where in the MOEF Issued guideline on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non & forest purpose read with MOEF's letter dated 5th Febuary 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that 3.60 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer T.D. P.W.D Rishikesh (Name of user agency) for Construction of double lane Motor Road and foot path from Doiwala Dudhli main road to Chandmari Misharwala Lachiwalapul briage in Dehradun district falls within jurisdiction of Nagar palika in Doiwala tehsil.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for take entire 3.60 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee's Nagar Palika (s), Sub- Division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 annexure 2.

b. The diversion of Forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3, (2) of the FRA have been completed and the Nagar Palika given their their consent to it.

c. The Proposal does not involve recognized right of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:- As above

Signature

(Full name and official seal of the District collector)

जिलाधिकारी
देहरादून

Annexure-1

FORM-II
For Project other linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No. 33(2)

Date:- 7.8.20

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) date 3rd August 2009 where in the MOEF Issued guideline on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non & forest purpose read with MOEF's letter dated 5th Febuary 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that 3.60 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer T.D. P.W.D Rishikesh (Name of user agency) for Construction of double lane Motor Road and foot path from Doiwala Dudhli main road to Chandmari Misharwala Lachiwalapul briage in Dehradun district falls within jurisdiction of Nagar palika Doiwala.

It is further certified that.

(a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for take entire 3.60 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee's Nagar Palika (s), Sub- Division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure...

(a) The proposal for such diversion (with full details of project and its implication, in vernacular/local language) Have been placed before each concerned Nagar Palika of forest dwellers, sho ared eligible under the FRD.

(b) The each of concerned Nagar Palika (s), has been certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measured, if any, having understood the purposed and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Nagar Palika is enclosed as annexure...

(c) The discussion and decision on such proposals had taked place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Nagar Palika present:

(d) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Palika has given their consent to it.

(e) The rights of primitive Tribal/Groups and pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section (1)(e) of the FRA

Encl:- As above

Signature

(Full name and official seal of the District collector)

जिलाधिकारी
देहरादून

कार्यालय उपजिलाधिकारी, डोईवाला
अनुसूचित जनजाति और वन्य परम्परागत वन निवासी
उपखण्ड स्तरीय समिति, डोईवाला, देहरादून

उपखण्ड ......डोईवाला...... परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्र्तगत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चॉदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ के निर्माण हेतु (3.30 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.30 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.00 है0 नाप भूमि)** वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील **डोईवाला**), डोईवाला की बैठक दिनांक ...09/01/2020...का कार्यवाही विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री ....लक्ष्मी राज चौहान.... उपजिलाधिकारी, डोईवाला — अध्यक्ष
2. श्री ....बी० बी० मर्तोलिया,.... उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून— सदस्य
3. श्री ....महेन्द्र प्रताप सिंह....सहायक समाज कल्याण अधिकारी, डोईवाला — सदस्य (महेन्द्र प्रताप सिंह) सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकासखण्ड डोईवाला
4. श्री/श्रीमती सुमित्रा मनवाल...., ~~बी0डी0सी0 क्षेत्र~~ .... सदस्य (अध्यक्ष नगर पालिका परिषद डोईवाला, देहरादून)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चॉदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ के निर्माण हेतु (3.30 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.30 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.00 है0 नाप भूमि)** वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्र्तगत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चॉदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ के निर्माण हेतु** मार्ग, सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपर्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्र्तगत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चॉदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ के निर्माण हेतु (3.30 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.30 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.00 है0 नाप भूमि)** वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, देहरादून को जनहित में व्यपर्वतन की सहमति प्रदान की गयी।

09/01/2020

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—डोईवाला, उपखण्ड डोईवाला
देहरादून

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

09/01/2020

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—डोईवाला, उपखण्ड डोईवाला
देहरादून

कार्यालय
ग्राम पंचायत/नगर पालिका डोईवाला
तहसील–डोईवाला, जिला–देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (3.300 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.300 है0 सिविल/समाज भूमि, शून्य है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत/नगर पा० डोईवाला द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम/नगर पालिका डोईवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (3.300 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.300 है0 सिविल/समाज भूमि, शून्य है0 नाप भूमि) वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को मा० मुख्यमंत्री घो० 105/2017 के अन्तर्गत कुधली मार्ग से चांदमारी-मि०ला० उनियाल पुल तक मार्ग निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर)
नगर पालिका परिषद
डोईवाला, देहरादून

ग्राम सचिव ग्राम प्रधान/अध्यक्ष

Meeta Ky
श्रीमती मीनाक्षी नेगी (सभासद)
वार्ड नं०-19, चाँदमारी, डोईवाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला, दे०दून

सभासद नगर पालिका परिषद डोईवाला
ह० (हस्ताक्षर)
दि० 28/10/19
वार्ड नं०- 18, प्रेमनगर, डोईवाला

Meeta Ky
श्रीमती मीनाक्षी नेगी (सभासद)
वार्ड नं०-19, चाँदमारी, डोईवाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला, दे०दून

Forwarding doc

Apshom
श्रीमती सुषमा कोठारी (सभासद)
वार्ड नं०-20, अम्बेडकर नगर
नगर पालिका परिषद डोईवाला, दे०दून

ग्राम पंचायत / नगर पालिका डोईवाला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	मोहन लाल	[illegible]
02	रोशन लाल	
03	शेर सिंह	शेर सिंह
04	प्रेम प्रकाश	प्रेमप्रकाश
05	रमेश चन्द	[illegible]
06	कमला देवी	कमला देवी
07	जीत सिंह	जीत सिंह
08	तेजेन्द्र सिंह	Tejinder Singh
09	देवेन्द्र सिंह	[illegible]
10	मुन्नी भण्डारी	मुन्नी
11	सुरेश सिंह चौहान	Chauhan
12	Narender Pal Singh	[illegible]
13	Baljinder	[illegible]
14	Rewati	रेवती गैरोला
15	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
16	तिलक राज कोठारी	Tilak Raj
17	Hemant	HK
18.	Rajmati Kothari	Rajmati

Ward-19 [illegible] 23/10/19

WARD 18 [illegible] 23/10/19

Forwarding.doc